न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO :– 2024/2
दायर दिनांक :– 01.01.2024
निर्णय दिनांक :– 08.02.2024

अनवान

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री कैलाशचंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर उम्र 36 जाति अहिर निवासी सकरावास, रेलमगरा जिला राजसमंद (विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स मां चामुण्डा डेयरी, कांकरोली रोड़, रेलमगरा जिला राजसमंद

– विपक्षी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) एवं धारा 51 के तहत

–: आदेश :–

शासन उप सचिव कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति0 जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी ने सबस्टैण्डर्ड घी (खुला) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) उल्लंघन किया है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा खाद्य नमुना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमुना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत् आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.10.2023 को 04.00 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला राजसमंद मैसर्स मां चामुण्डा डेयरी, कांकरोली रोड़, रेलमगरा जिला राजसमंद पर पहुचे श्री कैलाश चंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को खाद्य पदार्थ **घी (खुला) विक्रय कर रहें थे,** खाद्य सुरक्षा अधिकारी

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

को निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **घी (खुला) में मिलावट का शक होने पर उसमें से** 01 लीटर घी (खुला) वास्ते नमुना जॉच हेतु 700/— रूपये श्री कैलाश चंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर को नगद देकर गवाह श्री महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी, कार्यालय मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी राजसमंद के समक्ष कय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतिया एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री कैलाश चंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर को सम्भालकर रसीद प्राप्त करके खरीदशुदा 01 लीटर घी (खुला) को एक साफ—सूखे बर्तन में लेकर एक रूप कर, 04 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिके के जारों में बराबर—बराबर मात्रा भरकर कर एयरटाईट ढक्कन बंद कर 04 नमूना भाग तैयार किये चारों नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **AI 1999** दर्ज कर कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति को आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर व चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला उदयपुर को जमा कराने हेतु तैयार किया। फॉर्म सं. 6 की 02 प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला उदयपुर को जमा कराने हेतु तैयार किया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति को आउटर कवर में सील बन्द व चपडी कर डी.ओ. एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजसमंद को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद ने पत्र कमांक : एफएसएसए/2023/5621 दिनांक 27.10.2023 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. /775/एक्ट/2023/775 दिनांक 20.09.2023 के अनुसार घी (खुला) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 08.12.2023 को प्रस्तुत हुआ ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री कैलाशचंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वय के अनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 08.02.2024 को अप्रार्थी श्री कैलाश चंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर स्वयं उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया, अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उनपर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि वह छोटा व्यापारी है एवं घी (खुला) बाहर से मगंवाकर विकय करता है। अज्ञानतावश त्रुटि हुई एवं भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं की जायेगी, उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप किया जाये। चुंकि परिवाद में अप्रार्थी श्री कैलाश चंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जूर्म कबुल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ति राशि लगाने हेतु निवेदन किया, अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया, परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं सलग्न दस्तावेजों, खाद्य विश्लेषक उदयपुर की जॉच रिपोर्ट के

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

आधार पर विक्रय किया गया घी (खुला) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिये अभियुक्त दोषी प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री कैलाश चंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर द्वारा खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहा घी (खुला) निर्धारित मूल्यों के अनुरुप नहीं होना व इसमें निधारित वैल्यू अनुसार रिचर्ट वेल्यु एवं आयोडीन की मात्रा नहीं होना पाई गई है। ऐसे उत्पाद आम जनता/ उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रुप से आघात पहुचांता है एवं विक्रेता / फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत अप्रार्थी को इस चेतावनी के साथ उन्हे हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ – पत्र भी उन्हे न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री कैलाश चंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावर्ती नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है परन्तु अप्रार्थी द्वारा खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरुप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री कैलाश चंद्र अहिर पुत्र रतनलाल अहिर को रु **2,500/–(अक्षरे–दो हजार पांच सौ रुपये मात्र)** शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 08.02.2024 से एक माह के अन्दर राजकोष में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द